कोर्ट केस/तिथिबद्ध/निजि स्तर

Email: hechry1college@gmail.com

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

सेवा में

प्राचार्य
हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय।

यादी क्रमांक के0डब्लयू0 22/115–2015 सी–1(4)
दिनांक पचंकूला 01/12/15

विषयः– **Extension lecturer/ Resource persons से सम्बन्धित सिविल याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा दायर करना सुनिश्चित करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक के0डब्लयू0 22/115–2015 सी–1(4) दिनांक 16.11.2015 की निरन्तरता में।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि Extension lecturer/ Resource persons से सम्बन्धित सिविल याचिकाएं जोकि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.12.2015 व 21.12.2015 को निश्चित हैं के सम्बन्ध में यदि जवाबदावा दायर नहीं किया गया है तो जवाबदावा तैयार करके निजि स्तर पर निदेशालय पंचकूला के विभागीय लीगल सैल से वैट करवाने उपरान्त महाधिवक्ता हरियाणा चण्डीगढ़ के कार्यालय से वैट करवाकर माननीय उच्च न्यायालय में समय रहते दायर करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश हुआ है कि विषयांकित मामले में निम्नांकित सूचना **मामले की पूर्ण जानकारी रखने वाले अधिकारी (अर्थात् जिसके स्तर पर जवाबदावा तैयार किया गया है) के माध्यम से दो दिन के भीतर–2 निजि स्तर पर दिनांक 4.12.2015 तक हर अवस्था में निदेशालय मे भिजवाना सुनिश्चित करें**:–

CWP No.	Name of Petitioner	Name of College	Whether the petitioner re-engaged or not ?	If denied, reason thereof	Date of Hearing

मामले में निजि स्तर पर कार्यवाही की जाए तथा इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाए अन्यथा मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा।

अधीक्षक महाविद्यालय–1
कृतेः निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला